

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या

12/56/2018

प्रवेश तिथि

20-03-2018

निर्णय दिनांक

11-10-2019

01- बंशी पुत्र सुल्तान जाति गुर्जर निवासी ग्राम बबेड़ी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

-अपीलांट

बनाम

01- तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर

रेस्पॉण्डेंट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर  
दिनांक 22.01.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0  
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 537/2018

उपस्थित:-

01-श्री अनिल गुप्ता



-वकील अपीलाण्ट

-:निर्णय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.01.2018 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को ग्राम बबेड़ी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1023/8.66 है0 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉण्डेंट को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।


विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बबेड़ी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1023/8.66 है0 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 27.12.2017 को अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह के सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलाण्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलाण्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 22.01.2018 के विरुद्ध दिनांक 20.03.2018 को पेश किया। जो करीब 1 माह 18 दिन के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.03.2018 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं बताया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार बानसूर द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 06.06.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11-10-2019 को अद्योहस्ताक्षरता लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(भगवत सिंह देवल)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राजस्थान)